झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1284 वर्ष 2017

पंकज सिंह बजाद .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. भारत संघ।

2. केंद्रीय गृह सचिव, गृह विभाग, डाकघर एवं थाना–नई दिल्ली, जिला–नई दिल्ली।

3. पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना–नई दिल्ली में है।

4. पुलिस महानिरीक्षक, सी0आई0एस0एफ0, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ईस्ट जोन, पटना, बोरिंग रोड, डाकघर एवं थाना–बोरिंग रोड, पटना, जिला–पटना।

5. उप–महानिरीक्षक, सी0आई0एस0एफ0 यूनिट, डाकघर एवं थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद।

6. कमांडेंट, सी0आई0एस0एफ0 यूनिट, बी0सी0सी0एल0 (धनबाद), डाकघर एवं थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री एस0एल0 बर्णवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शिव प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री बी0के0 प्रसाद, ए0एस0जी0आई0 का ए0सी0

6/31.01.2019 याचिकाकर्ता ने इस रिट आवेदन में उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके द्वारा याची को सेवा से हटा दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता 16.07.2012 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुआ। वह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में तैनात थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया तथा एक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने अपने कर्तव्य का उचित तरीके से पालन नहीं किया और जब वह ड्यूटी पर था, तो सिविल बिल्डिंग के मुख्य द्वार का ताला और उसी इमारत कते कमरों के पांच अन्य ताले टूटे हुए पाए गए। याचिकाकर्ता ने कथित आरोप का जबाव दिया। जवाब से असंतुष्ट होकर उसके नियोक्ता ने विभागीय कार्रवाई शुरू की। जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई और याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देने के बाद, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कानून की प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्हें सेवा से हटाने का दंड दिया। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 28.01.2014 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने सेवा से हटाने के आदेश को इस आधार पर चुनौती दिया कि याचिकाकर्ता स्वयं घटना के बारे में अपने प्राधिकारी को सूचित किया था और इस प्रकार, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त घटना के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई थी, जो आरोप को झूठा साबित करती है। वह निवेदन

करते हैं कि अन्य सी0आई0एस0एफ0 कांस्टेबलों को कोई सजा नहीं दी गई है और याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बनाया गया है।

3. सी0आई0एस0एफ0 की ओर से पेश अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने घोर कदाचार और अनुशासनहीनता की है। याचिकाकर्ता को तीन इमारतों की सील के साथ बंद अलग–अलग कमरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन, उनके ड्यूटी के दौरान, यह पाया गया कि सिविल कार्यालय भवन का मुख्य द्वार खुला था और उसी इमारत के विभिन्न पांच कमरों के सील बंद ताले टूटे हुए थे। वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को उन भवनों की रक्षा करने के लिए तैनात किया गया था और ऐसा करने में विफलता एक कदाचार है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सक्षम नहीं है, जिसे उसे सौंपा गया था। इसलिए, उन्हें सेवा से हटा दिया गया।

4. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है।

5. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार में बैठा यह न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। तत्काल मामले में, मैं पाता हूँ कि एक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता को पूरा अवसर देने के बाद, सजा का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। दी गई सजा को भी अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है। याची कांस्टेबल था, जिसे सिविल कार्यालय भवन में प्रासंगिक समय पर प्रतिनियुक्त किया गया था और उसका काम कथित भवन की रक्षा करना था और जब वह ड्यूटी पर था, तो छह ताले टूटे हुए पाए गए। यदि याचिकाकर्ता द्वारा कार्यभार संभालने से पहले ताले तोड़े गए थे, तो याचिकाकर्ता द्वारा

अपने कार्यभार ग्रहण के तुरंत बाद अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन स्वीकृत रूप से यह मामला नहीं है। याचिकाकर्ता उस भवन की सुरक्षा करने के अपने मूल कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया था। यह एकमात्र काम था जिसे याचिकाकर्ता से करने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वह नहीं कर सका। इस प्रकार, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दी गई सजा आरोपों के अनुरूप है। इस प्रकार, मैं आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ, जिससे कि यह न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सके।

6. इस प्रकार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(आनंदा सेन, न्याया0)